पत्रांक :–3प/विविध–17–06/2020/7309/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 29/7/2022

विषय :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के जिला स्तरीय पैनल से संविदा नियोजित प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायको की सेवा अवधि के संबंध में।

प्रसंग:– अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–436 दिनांक–26.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक–3302, दिनांक–14.06.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के लिए परिचारित विभागीय दिशा–निर्देश की कंडिका–04(iii) में वर्णित प्रावधान के तहत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्तर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के जिला स्तरीय संधारित पैनल से प्रत्येक प्रखंड में एक–एक कार्यपालक सहायकों को आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जिला इकाई द्वारा संविदा नियोजित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मंत्री परिषद् की स्वीकृति से विभागीय संकल्प संख्या–2935, दिनांक–22.06.2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण निश्चय योजना की कार्य अवधि का विस्तार दिनांक–31.03.2022 तक, विभागीय पत्रांक–3867, दिनांक–28.04.2022 के द्वारा दिनांक–31.03.2023 तक विस्तारित किया गया है। स्वभाविक रूप से प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि दिनांक–31.03.2023 तक विस्तारित है। प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायकों के माध्यम से सूचना एवं प्रौद्योगिकी को उपयोगिता, समयवद्ध रिपोर्टिंग, आकड़ों का संग्रहण एवं लेखा विवरण के संधारण के परिपेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्रांक–436, दिनांक–26.02.2019 द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धान्त को उक्तवत् प्रखंड कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि के विस्तार के संबंध में लागू माना जायेगा।

1. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के संधारित पैनल से नियोजित प्रखंड स्तर के कार्यपालक सहायकों की नियोजन अवधि एवं अन्य अवकाश निम्न शर्त्तों के अधीन देय होगी–

(i) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी अन्तर्गत संविदा नियोजित कार्यरत कार्यपालक सहायकों का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा योजना अवधि समाप्ति अथवा 60 वर्ष आयु, जो पहले लागू हो, तक के लिए है। फलतः संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजना अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु, जो पहले लागू हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) संविदा नियोजन की अन्य शर्त्ते नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र/एकरारनामा में अंकित यथावत रहेगी।

2. **प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायकों के अवकाश के संबंध मे:–**

(i) **आकस्मिक अवकाश**–सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं एक सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन।

कृ०पृ०उ०.....

D:\Anil Sir\Anil Sir\Letter docx 326

(2) **अर्जित अवकाश**— एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है।

(3) **मातृत्व अवकाश**—

(क) मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसे सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन के लिए कार्य कर चुकी है। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले 8 सप्ताह तक का अवकाश अनुमान्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है।

(ख) दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिए अवकाश अनुमान्य होगा—6 सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं 6 सप्ताह शिशु जन्म के बीच।

(ग) तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी।

(4) **पितृत्व अवकाश**— 15 दिन (दो बच्चों तक)।

(5) **अवैतनिक अवकाश**— 30 दिन।

अवकाश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश—

(i) उपर्युक्त क्रमांक—(2), (3), (4) एवं (5) के अवकाशों की स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रदान की जायेगी। कार्यपालक सहायक के ऐसे अवकाश आवेदन को संबंधित विभाग/कार्यालय/प्रमंडल कार्यालय/जिला के कार्यालय प्रधान के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी को प्रेषित किया जाना होगा।

(ii) अवकाश उपभोग की सूचना पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के कार्यालय तथा मानदेय भुगतान के कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते है, उनके पद को रिक्त घोषित किया जायेगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी।

अतः नियोजित प्रखंड स्तर के कार्यपालक सहायकों की सेवा उपरोक्त अनुक्रम में जारी रखने के संबंध में अपने स्तर से सभी संबंधित इकाई को उक्तवत् निदेशित करने की व्यवस्था की जाय।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—3प/विविध—17—06/2020/7309/पं०रा० पटना, दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपिः— सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

D:\Anil Sir\Anil Sir\Letter.docx 327